प्रेस नोटः साइबर क्राइम सेल आगरा

दिनांकः13.09.2021

फर्जी दस्तावेजों (आधार कार्ड, पेन कार्ड) से बजाज फाइनेन्स कम्पनी से फर्जी तरीके से लोन लेने, फर्जी बैंक खाता व फर्जी सिम लेने वाले साइबर शातिरों को आगरा साइबर क्राइम सेल व जगदीशपुरा पुलिस ने किया गिरफ्तार-

शिकायतकर्ता श्री करन गुप्ता मैनेजर बजाज फाइनेन्स जगदीशपुरा आगरा के द्वारा अवगत कराया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फर्जी दस्तावेज (आधार कार्ड व पेन कार्ड) के माध्यम से आगरा, अलीगढ, गौतम बुद्धनगर,मथुरा, बुलन्दशहर व दिल्ली में भिन्न-भिन्न फर्जी नाम व पतों पर लगातार बजाज फाइनेन्स से लोन ठगी की जा रही हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जगदीशपुरा आगरा पर साइबर सेल आगरा द्वारा जांच बाद मु.अ.सं. 0204/2021 धारा 420,406 IPC पंजीकृत कराया गया।

प्राप्त शिकायत में वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज, बैंक खाता आदि की जांच के आधार पर 02 साइबर अपराधियों को थाना जगदीशपुरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त व उनके कार्य का विवरणः-

1. हवलदार पुत्र ओमपाल निवासी रामगढ, कासगंज उ.प्र. (उम्र-34 वर्ष)
2. रवि पुत्र धर्मपाल निवासी रामगढ, कासगंज उ.प्र. (उम्र-32 वर्ष)

कार्य करने का तरीकाः

शातिर रवि अपने साथी हवलदार के साथ मिलकर विभिन्न बैंक खातों में बजाज फाइनेन्स के नाम पर भोले-भाले लोगों को सस्ता लोन का झांसा देकर फाइल चार्ज व सिक्योरिटी के नाम पर 12 से 35 हजार रू तक की ठगी करते थे।

बरामदगी-

02 मोबाईल।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

श्री राजेश कुमार पाण्डेय (प्रभारी निरीक्षक जगदीशपुरा आगरा)
श्री सुल्तान सिंह (प्रभारी साइबर क्राइम सेल आगरा)
उ.नि. सोवेन्द्र सिंह थाना जगदीशपुरा आगरा।
है.का. जितेन्द्र, विजय तोमर, इन्तजार, प्रेम नारायण, सन्नी कुमार साइबर क्राइम सेल आगरा।

मीडिया सैल जनपद आगरा।